UPPG010047282026

Presented on : 01.07.2026
Registered on : 01.07.2026
Decided on : 15.08.2026
Duration : 46 days

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी–(राजीव कमल पाण्डेय), (एच. जे .एस.)
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1940/2026

संतोष कुमार विश्वकर्मा उम्र 40 वर्ष सुत जगन्नाथ विश्वकर्मा
निवासी रेलवे स्टेशन रोड, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

... ... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य उ०प्र०। ... ...विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या– 607/2025
धारा– 103(1) भारतीय न्याय संहिता
धारा–4/25 आयुध अधिनियम
थाना– कोतवाली नगर, **जनपद–** प्रतापगढ़।

अभियोजन की ओर से– श्री योगेश कुमार शर्मा, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)
अभियुक्त की ओर से– श्री महावीर यादव, चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, (DLSA), प्रतापगढ़।

---

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त संतोष कुमार विश्वकर्मा की ओर से अपराध संख्या–607/2025, धारा–103(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना–कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ के केस में जमानत पर छोड़े जाने की याचना के साथ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे उक्त मुकदमें में असत्य, फर्जी तथ्यों के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 11 घंटे विलम्ब से दर्ज कराई गई है, विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं है। प्रार्थी के पास कथित मृतका (उसकी पत्नी) की मृत्यु कारित किये जाने का कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष हेतुक नहीं है। प्रार्थी व मृतका की शादी अरसा 20 वर्ष पूर्व हुई थी, तब से लेकर कथित घटना तक प्रार्थी व मृतका के बीच कोई मनमुटाव व विवाद किसी भी बात को लेकर नहीं था। घटना के दो दिन पूर्व दिनांक 24.11.2025 को प्रार्थी की पत्नी बच्चों के साथ कीमती जेवर पहनकर ममेरे भाई की सगाई में ग्राम पूरे सुखदेव, थाना जेठवारा, प्रतापगढ़ गई थी और देर शाम लौटी थी। उसी समय से अज्ञात बदमाश लूटपाट की नीयत से लगे थे। घटना के समय बच्चे स्कूल गए थे और प्रार्थी व्यवसाय के सिलसिले में बाहर था। बदमाश लूट की नीयत से घर में घुसे, जहाँ उसकी पत्नी ने उन्हें पहचान लिया। पकड़े जाने और शिकायत के डर से, साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से बदमाशों ने उन्हें चोट पहुँचाकर हत्या कर दी। कथित मामले के साक्षीगण अभय विश्वकर्मा, आयुष विश्वकर्मा व अनन्या विश्वकर्मा ने विवेचक को दिए बयानों में बताया कि प्रार्थी ने अपने घर पर सुरक्षा हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाए थे। किंतु विवेचक द्वारा सम्पूर्ण विवेचना में घर पर मौजूद इस

Digitally signed by Rajiv Kamal Pandey
Date: 2026.08.25 17:22:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

महत्वपूर्ण सी.सी.टी.वी. फुटेज को साक्ष्य के रूप में संकलित नहीं किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट और विवेचक द्वारा धारा 163 B.N.S. के तहत संकलित साक्षीगण के बयानों में पर्याप्त विरोधाभास है। मृतका को आई चोटों के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह कृत्य किसी एक अकेले व्यक्ति द्वारा किया जाना कदापि संभव नहीं है। कथित घटना के संबंध में घटनास्थल के आसपास स्थित मकानों में निवास करने वाले लोगों का विवेचक द्वारा कोई बयान अंकित नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त कभी का सजायाफ्ता नहीं है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

3. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध किया गया।

4. न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के तर्कों को सुना गया एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।

5. प्रश्नगत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना वाले दिन ही मृतका के पिता द्वारा थाने पर दर्ज कराई गई थी, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त को नामजद किया गया था। दौरान विवेचना साक्ष्य संकलन में मृतका के बच्चों के बयान में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मृतका पर चरित्रहीन होने का संदेह किया जाना तथा पूर्व में मृतका के साथ मारपीट किया जाना बताया गया है। घटना प्रार्थी/अभियुक्त के घर के अन्दर कारित होने, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी की हत्या होना अभिकथित है। मृतका के शव विच्छेदन आख्या में उसके गले पर धारदार हथियार के घाव मौजूद होना बताया गया है, जिनकी कुल संख्या छः बताई गई है। मृतका की मृत्यु, मृत्यु पूर्व आई इन्हीं चोटों के कारण सदमा व रक्तस्राव से होना बताया गया है। गिरफ्तारी के बाद प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किए गए कथन के आधार पर उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू की बरामदगी होना भी बताया गया है। मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है तथा विचारण लम्बित है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाये गये अभियोग की प्रकृति एवं अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है तथा प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **संतोष कुमार विश्वकर्मा** की तरफ से अपराध संख्या–607/2025, धारा–103(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 4/25 आयुध अधिनियम, जनपद प्रतापगढ़ में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1940/2026 निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 25.08.2026

(राजीव कमल पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश
प्रतापगढ़।
I.D No. UP–2020

Dictated on : 25.08.2026
Transcribed on : 25.08.2026
checked on : 25.08.2026
Signed on : 25.08.2026

दिनांकः 25.08.2026

(राजीव कमल पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश
प्रतापगढ़।
I.D No. UP–2020